क्रम संख्या– 088

पंजीकृत संख्या–यू0 ए0/डी0एन0 30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल

## सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग–1, खण्ड (क)

## (उत्तरांचल अधिनियम)

## देहरादून, मंगलवार 27 मई, 2003 ई0 ज्येष्ठ, 06, 1925 शक सम्वत्

## उत्तरांचल शासन

## विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

## संख्या 184/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 देहरादून, 27 मई, 2003

## अधिसूचना

## विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को दिनांक 16–04–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 07, सन 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियिम, 2003

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 सन 2003}

उत्तराखण्ड के लिए अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों से भिन्न अन्य पिछडे वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियिम बनाया जाता हैः–

### अध्याय –एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और जायेगा। प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड अन्य विछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 कहा

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में –

(क) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सूची में निर्दिष्ट किया जाए;

(ख) ''आयोग''से तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है;

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;

(घ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;

(ङ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष {तथा उपाध्यक्ष}1 भी सम्मिलित है;

(च) ''अनुसूची'' की तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक से है।

अध्याय–दो
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य
आयोग

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समानुदेशित राज्य आयोग का गठन अन्य पिछड़ा वर्ग

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे आयोग कहा जायेगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) आयोग में अध्यक्ष, {तीन उपाध्यक्ष}2 व {पन्द्रह सदस्य}2 होंगे जो अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे जिनमें से एक महिला होगी। अध्यक्ष पद हेतु अन्य पिछडा वर्ग के योग्य पुरूष अथवा महिला पात्र हो सकते हैं।

1. उत्तरांचल अधिनियम सं0 01 वर्ष 2004 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

पदावधि और शर्तें दिनांक से

4. (1) अध्यक्ष, {तीन उपाध्यक्ष}1 और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग–पत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्याग पत्र स्वीकृत नहीं कर लिया जाता, वह अपने पद पर बना रहेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति–––

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाय;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना आयोग की निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अन्य पिछड़े वर्गों के हित या लोकहित के लिये हानिकारक हो जाये;

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्तें और उनकी सेंवा में अन्य निर्बन्धन की शर्ते ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।

आयोग के अधिकारी और उपलब्ध अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी करायेगी, जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तें और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जायं।

वेतन और भत्ते का व्यय, भुगतान अनुदान से किया और पेंशन जाना किया

6. अध्यक्ष, {तीन उपाध्यक्ष}1 और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक जिसमें धारा 5 से निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते भी सम्मिलित है, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से जायेगा।

रिक्तियां इत्यादि से होने आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्त या त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा प्रक्रिया उचित विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

{(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है। यदि अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उपरोक्त कारणों से उपस्थित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।}1

{(5) यदि अध्यक्ष और सभी तीनों उपाध्यक्षों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा।}2

## अध्याय–तीन

## आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा; अर्थातः––

(क) आयोग अनुसूची से किसी वर्ग के नागरिकों को अन्य पिछडे वर्ग के रूप में भी सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी अन्य पिछडे वर्ग के त्रुटिपूर्ण सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित अन्य मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा;

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा;

(घ) अन्य पिछडे वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेगा और उन पर सलाह देगा और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा;

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक या ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;

(च) अन्य पिछडे वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जाएं, सिफारिश करेगा;

(छ) अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाएं, निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष वर्ष के अन्त में आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

1.उत्तरांचल अधिनियम सं0 02 वर्ष 2006 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

आयोग की शक्ति किसी निम्नलिखित

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय बात का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः बातों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थातः——

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा नहीं अनुसूची का करने के नियतकालिक पुरनीक्षण से दस समाप्ति पर

11. (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची के उन वर्गो को, जो अन्य पिछड़े वर्ग में रखे गये हैं, निकालने की दृष्टि से या नये अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मिलित लिए अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने वर्ष की समाप्ति पर उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष की उत्तरावर्ती अवधि की पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

## अध्याय–चार
## वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षण

राज्य सरकार द्वारा किये अनुदान भुगतान

12. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोग जाने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपभोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, आयोग को करेगी।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, खर्च कर सकता है और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

13. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों आदि पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी, जैसी विहित की जाय।

वार्षिक रिपोर्ट किया देते

14. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान सभा के कार्यवाही समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखा जाना यथाशक्य शीघ्र

15. राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी और किसी ऐसी सलाह के अस्वीकार करने यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय–पांच

विविध

आयोग के अध्यक्ष, {दो उपाध्यक्ष}1 सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

16. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, {तीन उपाध्यक्ष}1 सदस्य और कर्मचारी लोक सेवा सेवक समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति के लिए

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थातः––

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष, {तीन उपाध्यक्ष}1 और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;

(ख) प्रपत्र जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा का विवरण रखा जायेगा;

(ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(घ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

शक्ति के करे,

18. जो कोई धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए इस आदेश या निदेश की जान बूझकर अवज्ञा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 जैसी भी स्थिति हो, दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान उपाध्यक्ष}1 अधिकारी के

19. कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष, {तीन या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

सदभावना से की गई गये कार्यवाही का संरक्षण लिये विधि तक

20. किसी व्यक्ति के विरूद्व ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य कार्यवाही की जायगी।

कठिनाइयों को दूर करने राज्य की शक्ति या

21. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार अधिसूचित आदेशों द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध (1) के अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तराखण्ड अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अपवाद आयोग

22. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गठित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित आयोग समझा जायगा और उक्त

आयोग अपने — के अध्यक्ष, {उपाध्यक्ष}1, सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद — 23. (1) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध कभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

1. उत्तरांचल अधिनियम सं0 01 वर्ष 2004 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

# THE UTTARAKHAND STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES ACT, 2003

## [UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2003]

to constitute a commission for Other Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Uttarakhand and to provide for matters connected there with or incidental thereto:

**AN**

**ACT**

It is Hereby enacted in the Fifty-fourth year of Republic of India as follows:-

## CHAPTER-1

## Preliminary

Short title, Commencement and Extent — 1. (1)This Act may be called the Uttarakhand State Commission for Other Backward Classes Act, 2003.

(2)It shall be deemed to have come into force at once.

(3)It extends to the whole of Uttarakhand.

Definition 2. In this Act –

(a)"Other Backward Classes" means such classes of citizens as may be specified by the State Government in the list from time to time;

(b)"Commission" means the State commission for Other Backward Classes constituted under section 3;

(c)The Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(d)"The State Government" means the State Government of Uttarakhand;

(e)"Member" means a member of the Commission and includes the Chairman [and Vice-Chairman]1 ;

(f) "Scheduled" means Scheduled one of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

## CHAPTER-II

## The State Commission for Other Backward Classes

Constitution of State Commission for Other Backward Classes — 3. (1)The State Government shall constitute a body to be known as the State the Commission for Other Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2)The Headquarter of the commission shall be at such place as the State Government may by notification, specify.

(3)The commission shall consist of [fifteen members]2 other than Chairman, [three Vice-Chairmen]2 who should be belonging to other backward

Classes and one member would be a women. Male or female of Other Backward Classes would be eligible for the post of chairman.

1. Ins. by section 2 of Uttaranchal Act No. 01 of 2004.
2. Sub. by section 2 of Uttaranchal Act No. 05 of 2016.

Term of office and conditions of service

4. (1)The Chairman [three Vice-Chairmen][1] and every other member shall hold office for a term of three years from the date, he assumes office.

resign

(2)A member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman [three Vice-Chairmen][1] or members, as the case may be, at any time but shall continue to hold office until his resignation is accepted.

(3)The State Government shall remove a person from the office of member if that person---

(a)becomes an un-discharged insolvent;

(b)is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c)becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d)refuses to act or becomes incapable of acting;

(e)is, without obtaining leave of absence from the commission, absent from three consecutive meetings of the commission; or

(f)has, in the opinion of the State Government, so abused the position of chairman or members as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of Other Backward Classes or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4)A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5)The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of the Chairman and members shall be such as may be prescribed.

Office and other such employees of the Commission

5. (1)The State Government shall provide the commission with a secretary and other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the commission.

(2)The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the commission shall be such as may be prescribed by the State Government.

Salaries and allowances to be paid out of grant

6. The salaries and allowances payable to the Chairman, [three Vice-Chairman][1] and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5 shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Vacancies etc. not to invalid-date procee-

7. No act or proceeding of the commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

dings of the Commission

Procedure to be regulated by the Commission

8. (1)The Commission shall meet as and when necessary at such times and place as the chairman may think fit.

(2)The Commission shall regulate its own procedure.

1.Sub. by section 3 of Uttarkhand Act No. 05 of 2016.

(3) All orders and decisions of the commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

[1][(4) If the office of the Chairman falls vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the senior Vice-Chairman. If senior Vice-Chairman is also absent along with Chairman due to above reasons, in such circumstances junior Vice-Chairman shall discharge the duties of the Chairman.]

[(5) If the offices of the Chairman and the all three Vice-Chairman fall vacant, the duties of the office of the Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order direct.][2]

## CHAPTER-III
## Functions and Powers of The Commission

Functions of the Commission

9. (1)The commission shall perform all or any of the following functions, namely---

(a) the commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as an other backward class on the Schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any other backward class in the Schedule and tender such advice to the state Government as it deems appropriate;

(b) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Other Backward Classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;

(c) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Other Backward Classes.

(d) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the Other Backward Classes and to evaluate the progress of their development.

(e) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards.

(f) to make in such reports recommendation as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, and socio-economic development of the Other Backward Classes; and

(g) to discharge such other functions in relation to the protection welfare, development and advancement of the Other Backward Classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non acceptance, if any, of the such recommendations.

1. Sub. by section 4 of Uttaranchal Act No. 02 of 2006. 2. Sub. by section 4 of Uttarakhand Act No. 05 of 2016.

Powers of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a Civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

(a)summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;

(b)requiring the discovery and production of any document;

(c)receiving evidence on affidavits;

(d)requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(e)issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f)any other matter which may be may be prescribed.

Periodic years revision of the Schedule by the State Government

11. (1)the State Government may at any time, and shall on the expiration of ten from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revisions of the schedule with a view to excluding from it to schedule those classes who have ceased to be other backward classes or for including in the schedule new other backward classes.

(2)The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1) consult the commission.

## CHAPTER-IV
## Finance Accounts and Audit

Grants by the State Government

12. (1)The State Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by the way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposed of this Act.

(2)The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and Audit

13. (1)The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2)The Accounts of the commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3)The auditor shall have such powers of requiring the productions of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspection any of the offices of the commission as may be prescribed.

Annual Report

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislature

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reason for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the State Legislature.

## CHAPTER-V
## Miscellaneous

Chairman, [two Vice-Chairman]1 Members and Employees of Commission to be public servant

16. The Chairman, [three Vice-Chairmen]1 Members and Employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Power to make Rules

17. (1)The State Government may, be notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2)In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters namely:

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of services of the Chairman, [three Vice-Chairmen]1 and Members under sub-section (8) of section 4 and the officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 13;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section14;

(d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Penalty.

18. Whoever being legally bound to obey any order or direction of the Commission under section 10, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860, as the case may be.

Cognizance of offences

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on a complaints in writing of the Chairman, [three Vice-Chairmen]1 or a Member or of an officer of the commission authorized in this behalf by the Commission.

Protection of action taken in good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.

Power to State remove difficulties

21. (1)If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by a notified order, make provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2)No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3)The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-

section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

1. Sub. by section 3 of Uttarakhand Act No. 05 of 2016.

**Exceptions**

22. Notwithstanding anything in this Act, the commission constituted by the Uttarakhand Government shall be deemed to have been duly constituted under the provision of this act and the term of three years of the Chairman, [Vice-Chairman][1] and other members of the said commission shall be computed from the date on which they has assumed charge of their respective offices.

**Repeal and saving**

23. (1)The Uttarakhand Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001 is hereby repealed.

(2)Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have or taken under this Act.

1. Sub. by section 4 of Uttaranchal Act No. 01 of 2004.